न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **215/2025** दायर दिनाँक **11.06.2025**

वादीगण

1. रामनिवास पुत्र भागीरथ राम जाति हरिजन निवासी बांसा तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन हाल निवासी 42 गणेश नगर पत्रकार कोलोनी नियर बाबा पैराडाइज गोलावास मानसरोवर जयपुर
2. पप्पुराम पुत्र भागरीरथ राम जाति हरिजन निवासी बांसा तहसील मौलासर जिला डीडवाना–कुचामन हाल निवासी 30 पृथ्वीराज नगर विस्तार, महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर

बनाम्

प्रतिवादी

1. तहसीलदार मौलासर

राजस्व–वाद बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री मो. तुफैल एडवोकेट वादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **23.02.2026**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 65 रकबा 2.6300 है. व खसरा संख्या 80 रकबा 0.1100 है. गै.मु.बाडा वाके सरहद बांसा में अवस्थित है। वादीगण सगे भाई है। खसरा नम्बर 65, 80 की भूमि में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की भूल व सहवन से राजस्व रेकर्ड में वादी रामनिवास के पिता का नाम भागूराम दर्ज कर दिया जबकि वादी रामनिवास के पिता का वास्तविक नाम भागीरथराम है तथा वादी पप्पूराम व उसके पिता का नाम पपूराम पुत्र भागूराम दर्ज कर दिया जबकि वादी पप्पूराम व उसके पिता का नाम पप्पूराम व भागीरथराम है। जो सही एवं सत्य है। वादीगण के उक्त राजस्व रेकर्ड में वादीगण व उनके पिता का नाम गलत अंकित हो रखा है जबकि वादीगण के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास पहचान पत्र आदि में वादी रामनिवास के पिता का नाम भागीरथ राम व वादी पप्पूराम व उसके पिता का नाम पप्पूराम पुत्र भागीरथ राम अंकित है जो सही व सत्य है। वादीगण के पिता का गलत नाम अंकन होने से वादीगण को सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। तथा बैंक आदि के [illegible] परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जिस कारण दावा रेक[illegible] करना लाजमी आया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:43:35 IST
Reason: SelfAttested

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

सरहद बांसा के खेत खसरा संख्या 65 रकबा 2.6300 है. व खसरा संख्या 80 रकबा 0.1100 है. गै.मु.बाडा में वादी रामनिवास के पिता का नाम भागूराम के स्थान पर भागीरथ राम तथा वादी पप्पूराम का नाम पपूराम के स्थान पपूराम व उसके पिता

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

भागूराम के स्थान पर भागीरथ राम अर्थात पप्पूराम पुत्र भागीरथराम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जावे तथा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मौलासर के पत्र क्रमांक राजस्व/2025/1160 दिनांक 24.09.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादी वादी रामनिवास के पिता का नाम भागूराम के स्थान पर भागीरथ राम तथा वादी पप्पूराम का नाम पपूराम के स्थान पपूराम व उसके पिता भागूराम के स्थान पर भागीरथ राम अर्थात पप्पूराम पुत्र भागीरथराम को दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है।

तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी पप्पूराम पुत्र भागीरथराम व रामनिवास पुत्र भागीरथराम जाति हरिजन के नाम बांसा में सुक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या 348 खसरा संख्या 65, 80 है। कुल रकबा 2.74 है. जिसमें पप्पुराम पुत्र भागीरथराम राम के स्थान पर पपूराम पुत्र भागूराम, रामनिवास पुत्र भागीरथ राम के स्थान पर रामनिवास पुत्र भागूराम दर्ज है। जो कि विरासत से आए है। दोनों प्रार्थियों के आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, जाति प्रमाण पत्र मूलनिवास प्रमाण पत्र से पप्पूराम पुत्र भागीरथराम व रामनिवास पुत्र भागीरथराम शुद्ध किया जाना उचित है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, तहसीलदार मौलासर से प्राप्त रिपोर्ट, विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

मौजा ग्राम बांसा के खेत खसरा संख्या 65 रकबा 2.6300 है. व खसरा संख्या 80 रकबा 0.1100 है. में खातेदार पपूराम पुत्र भागूराम के स्थान पर पप्पूराम पुत्र भागीरथ राम एवं रामनिवास पुत्र भागूराम के स्थान पर रामनिवास पुत्र भागीरथ राम दुरूस्त किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक [illegible] को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:43:35 IST
Reason: SelfAttested

([illegible] R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना